18 वर्ष में बन सकेंगे उद्यमी...सीएम युवा उद्यमी योजना का मिलेगा लाभ

घटेगी पात्रता आयु सीमा, इसी माह के अंत तक होगी लागू

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ जल्द ही 18 वर्ष के युवाओं को भी मिलेगा। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने वाली इस योजना की पात्रता उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाएगी। युवा अपने आइडिया स्टार्टअप के रूप में योजना के तहत पंजीकृत कर सकेंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में इसे लागू करने की योजना है।

योजना में परंपरागत के साथ इनोवेटिव उद्यमों को जोड़ा गया है। ड्रोन और एआई तकनीक से जुड़े उद्यम भी हैं। शुरुआती दौर में ही युवाओं को उद्यमी बनने की दिशा में प्रोत्साहन देने के लिए इसकी पात्रता आयु 18 वर्ष की जा रही है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में हेल्प्डेस्क बनेगी। यहां युवाओं को उद्यम की जानकारी के साथ कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद बेचने तक में सहयोग मिलेगा। इसमें पांच लाख रुपये का लोन दिलाया जाएगा। >>

55 हजार को मिला लाभ : पेज 2

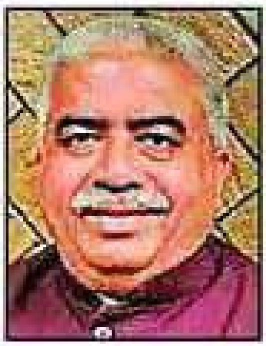

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अधिक से अधिक युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए योजना की पात्रता उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाएगी।

-राकेश सचान, एमएसएमई मंत्री